न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिंघल, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 4 / 2021
तारीख दायरा : 12.08.2021

उनवान

1. मन्ना लाल बैरवा पुत्र श्री मूलचन्द बैरवा जाति बैरवा निवासी ग्राम भूडा तहसील रैणी जिला अलवर।

.....प्रार्थी।

बनाम

1. कमल उर्फ कैलाश चन्द पुत्र मन्ना लाल बैरवा जाति बैरवा निवासी ग्राम भूडा तहसील रैणी जिला अलवर।
2. ममता देवी पत्नी कमल उर्फ कैलाश चन्द बैरवा जाति बैरवा निवासी ग्राम भूडा तहसील रैणी जिला अलवर।

.....अप्रार्थीगण।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (1) क,ख सहपठित
धारा 21, 22, 23 के तहत माता पिता
व0 नागरिक का भरण पोषण अधिनियम)
उपस्थित – श्री विजय नारायण शर्मा एडवोकेट प्रार्थी
श्री सुभाष चन्द सैनी एडवोकेट अप्रार्थीगण

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय ::

दिनांक : 02.09.2022

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (1) क, ख सहपठित धारा 21, 22, 23 के तहत माता–पिता वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण व उनके जीवन एवं सम्पत्ति संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत स्वयं की कृषि भूमि व स्वयं के मकान पर कब्जा व जान की सुरक्षा बाबत पेश किया। सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है प्रार्थी गरीब व्यक्ति है तथा उम्र करीब 63 वर्ष हो चुकी है। प्रार्थी गॉव भूडा तहसील रैणी में खुले में रहने को मजबूर हो रहा है जबकि प्रार्थी की ग्राम भूडा में आराजी भूमि व रिहायशी मकान बना रखा है। लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थी की आराजी भूमि व रिहायशी मकान पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर रखा है। जिससे प्रार्थी के रहने, खाने पीने व दैनिक दिनचर्या की आवश्यक वस्तुओं के अभाव में जीना दुर्भर हो रहा है। प्रार्थी के रिस्तेदारों व गॉव के पंच पटेलों द्वारा अप्रार्थीगण को काफी समझाया गया। जिस पर अप्रार्थीगण प्रार्थी को किसी प्रकार की तकलीफ नही देने बाबत समाज के लोगो को आश्वासन दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद दुबारा से प्रार्थी के साथ धक्का–मुक्की करने लगे तथा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने लगे तथा प्रार्थी के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। जिससे प्रार्थी अपना जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो रहा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के मकान पर जबरन कब्जा करना चाहा। जिस पर प्रार्थी द्वारा मना किये जाने पर प्रार्थी को शारीरिक व मानसिक वेदनाऐं पहुँचाने लगे तथा अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी को झूठे मुकदमें में फंसाने की धमकी देने लगी, प्रार्थी के छोटे पुत्र खेमचन्द द्वारा अप्रार्थीगण के इन कृत्यों का विरोध किया तो अप्रार्थीगण द्वारा उसको भी प्रार्थी के साथ मकान से निकाल दिया और कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया है तथा खेतों पर जाने पर जान से मारने की धमकी देते है और खाने के लिए कुछ भी नही देते है।

प्रार्थी की पत्नि का स्वर्गवास 2018 में हो चुका है। प्रार्थी के दो पुत्र व दो पुत्रिया है जो विवाहित है। प्रार्थी ने अपनी स्वयं की अर्जित धनराशि से ग्राम भूडा तहसील रैणी में चार पक्के कमरे का निर्माण कराया है जिन कमरों में प्रार्थी परिवार सहित निवास करता रहा है तथा प्रार्थी के पास ग्राम भूडा तहसील रैणी में करीब डेढ बीघा कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी काश्त करके अपना व परिवार का पालन पोषण करता रहा है। परिवादी का छोटा पुत्र खेमचन्द विकलांग है जो करीब 24 वर्ष का है कमल उर्फ कैलाश का पहली पत्नि मंजू से तलाक हो गया है। उसके गर्भ से दो पुत्र पैदा हुये। प्रार्थी के पुत्र कमल उर्फ कैलाश बैरवा ने अपना पुनः विवाह ममता बैरवा निवासी करौरिया जिला दौसा के साथ कर लिया जिसके साथ दो लडके सिन्दू व अंश भी आये है। प्रार्थी अपने रिस्तेदारों व गॉव में इधर–उधर जीवन निर्वाह करने को मजबूर हो गया तथा प्रार्थी काफी वृद्व होने के कारण प्रार्थी को कई बीमारियों ने घेर लिया तथा प्रार्थी अपनी देखरेख करने में असमर्थ है तथा प्रार्थी को उसके मकान से निकाल दिये जाने के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है तथा प्रार्थी की वृद्वावस्था के कारण कोई भी प्रार्थी को किराये पर मकान देने को तैयार नही है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी को अपने मकान जो ग्राम भूडा तहसील रैणी जिला अलवर में स्थित है के सम्पूर्ण मकान को खाली करवाकर कब्जा प्रार्थी को दिलाया जावे तथा प्रार्थी की आराजी भूमि से अप्रार्थीगण का कब्जा हटवाया जावे एवं प्रार्थी को दखल दिलाया जावे। उपरोक्त मकान का मालिक प्रार्थी है जिसकों अप्रार्थीगण के कब्जे में रख रखा है तथा प्रार्थी की सेवा सुरक्षा नही करता है मकान में नही रहने देता, इस आशय की पावन्दी का आदेश फरमाया जावे कि उक्त मकान में प्रार्थी को कब्जा दिलाने के बाद किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत उत्पन्न नही करे। प्रार्थी को अप्रार्थीगण से उक्त परिवाद पत्र प्रस्तुत करने में हुये व्यय की राशि 11000/– रूपये अप्रार्थीगण से दिलवाया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के दो पुत्र व दो पुत्रवधु है। प्रार्थी गरीब व्यक्ति नही है प्रार्थी चिनाई व नल फिटिंग व ठेकेदारी का कार्य करता है तथा प्रार्थी के पास ग्राम भूडा तहसील रैणी में कब्जेकाश्त खातेदारी की करीब 4–5 बीघा कृषि भूमि है जिसकी मासिक आय करीब 30000/– रूपये मेहनत मजदूरी से तथा करीब 50 मण अनाज कृषि भूमि से सालाना पैदा होता है। प्रार्थी द्वारा अपने नाम कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थी स्वयं काश्त करता चला आ रहा है तथा अपने छोटे पुत्र व पुत्रवधु के साथ रहकर जीवनयापण कर रहा है। प्रार्थी अपने द्वारा बनाये मकान पर स्वयं काबिज होकर सुखपूर्वक रह रहा है। प्रार्थी को कभी भी शारीरिक व मानसिक वेदनायें नही पहुॅचाई है। प्रार्थी व उसका छोटा पुत्र खेमचन्द दोनो ही अप्रार्थीगण से झगडा फसाद करते रहते है तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 को गलत निगाह से देखता है व ग्राम भूडा से निकाल देना चाहते है। हम अप्रार्थीगण प्रार्थी से काफी दूर स्वयं की लागत से बनाये गये मकान पर काबिज होकर निवास कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 01 की पहली पत्नि का भरण पोषण भी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा वहन किया जा रहा है। प्रार्थी को हम अप्रार्थीगण द्वारा ना तो कभी मानसिक व शारीरिक परेशान किया गया और ना ही कभी मकान से निकाला गया है। प्रार्थी द्वारा हम अप्रार्थीगणों के विरूद्व उपरोक्त प्रार्थना पत्र झूठा व मनगढन्त दर्ज कराया है जो खारिज योग्य है।

हमने योग्य अधिवक्तागणों की बहस सुनी। प्रार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वादी की स्वयं की अर्जित सम्पत्ति में से उसके पुत्र कमल व पुत्रवधु द्वारा उसे तथा उसके छोटे पुत्र को मारपीट कर घर से निकाल दिया है तथा सामान भी घर से बाहर फेंक दिया है। वादी व उसका छोटा पुत्र किराये के मकान में रह रहा है। पिता वृद्व है तथा छोटा पुत्र विकलांग है। वृद्व माता–पिता को भरण पोषण पुत्रों से प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए बडे पुत्र कमल से भरण पोषण दिलाया जावे तथा वादी व उसके पुत्र को घर में पुनः प्रवेश करवाया जावे तथा सुरक्षा प्रदान की जावे।

योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क है कि वादी द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये गये है सम्पत्ति पैतृक है। इसलिए मेरा भी अधिकार है। पिता का जो अधिकार है उतना ही मेरा भी अधिकार है। मारपीट की कोई एफआईआर नही है केवल गुमराह करने का प्रयास कर रहे है। पूर्व में हमारा समझोता भी हो गया था लेकिन यह न्यायालय में शपथ पत्र पेश करने नही आये। छोटा पुत्र पिता मन्ना के साथ रहता है। मन्ना ठेकेदार एवं चिनाई का कार्य करता है। पेंशन से भी आय होती है। पी0एम0 सम्मान निधि से भी 6000/– रूपये वार्षिक की आय होती है। फसल की भी बुवाई कर रहे है। इनकी 30000/– रूपये मासिक आय है। छोटा पुत्र खेमचन्द सिलाई का कार्य करता है जो कमाने योग्य है। प्रार्थी/वादी स्वयं भी कमाने योग्य है। पिता की स्वयं की आय है एवं छोटे पुत्र खेमचन्द की भी स्वयं की आय है। ऐसी अवस्था में यह भरण पोषण की मांग नही कर सकते। पिता एवं छोटे पुत्र द्वारा मेरी पत्नि मंजू से मारपीट की और झगडा करके घर से निकाल दिया, वो पीहर चली गई तथा नही आने पर मेरे पक्षकार द्वारा दूसरी शादी कर ली जिससे 2 बच्चे है तथा 2 बच्चे पहले की पत्नि से है। पहली पत्नि को भी खर्चा दे रहा हूँ। मजदूरी पेशा व्यक्ति है। यदि इन्हे भी भरण पोषण दिया गया तो मेरे कुछ नही बचेगा। 6–7 हजार रूपये मासिक आय है। ऐसी स्थिति में बच्चों की परवरिश कैसे कर पायेगा। प्रार्थी स्वयं 7000/– रूपये मासिक मजदूरी पर मण्डावर जिला दौसा में एटीएम की दुकान पर काम करता है।

बहस प्रत्युत्तर में वकील वादी का कथन है कि मकान मैंने स्वयं की आय से बनाया था, इनके द्वारा मकान में कोई लागत नही लगायी गयी है। मेरी सम्पत्ति पैतृक है, ऐसा कोई दस्तावेज प्रतिवादी ने पेश नही किया है। मैंने मकान व जमीन आधी–आधी कर दी। उसके बावजूद भी प्रतिवादी ने मेरे साथ मारपीट कर मुझे ही घर से निकाल दिया। वादी वृद्ध व्यक्ति है तथा छोटा पुत्र विकलांग है। इसलिए जीवन निर्वाह हेतु भरण पोषण प्रतिवादी से प्राप्त करने का अधिकारी है।

हमने दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस मामले में विद्यमान तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादीगण (पिता एवं पुत्र) के मध्य पारिवारिक विवाद है। यह एडमिटेड तथ्य है कि वादी एक वृद्ध व्यक्ति है तथा उसका छोटा पुत्र खेमचन्द विकलांग है। प्रतिवादी उसका बडा पुत्र है जो शादी–शुदा है।

जहां तक विवादित सम्पत्ति का प्रश्न है वादी का कथन है कि विवादित सम्पत्ति उसकी स्व अर्जित सम्पत्ति है जबकि प्रतिवादी का कथन है कि सम्पत्ति पैतृक है। चूंकि इस प्रार्थना पत्र में विवादित सम्पत्ति के हक व अधिकारों का निर्धारण नही किया जाना है। इस बिन्दू का निर्धारण नियमों में विहित रिति के अनुसरण में सक्षम न्यायालय से करवाया जा सकता है। इसलिए सम्पत्ति के बिन्दू पर किसी प्रकार का मत व्यक्त किया जाना न्यायोचित नही है।

इस प्रार्थना पत्र के जरिये यह तय किया जाना है कि आया वादी अपने आवास में पुनः प्रवेश करने का अधिकारी है ? आया वादी सुरक्षा प्राप्त करने एवं भरण पोषण खर्चा प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नही ?

वादी का कथन है कि प्रतिवादी ने उसके साथ मारपीट कर उसके छोटे पुत्र खेमचन्द को घर से बाहर निकाल दिया। यह एडमिटेड तथ्य है कि वादी अपने छोटे पुत्र के साथ अपने स्वयं के मकान से बाहर रह रहा है तथा प्रतिवादी विवादित मकान में निवास कर रहा है। दोनो पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि दोनो के मध्य आपसी झगडा है। वादी का अपने घर से बाहर रहना इस तथ्य की ताहिद करता है कि प्रतिवादी द्वारा उसे घर से बाहर निकाल दिया है चुकि वादी एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी पत्नि

का भी देहान्त हो चुका है तथा उसका छोटा पुत्र खेमचन्द जो विकलांग है वह भी उसके साथ रहता है। ऐसी स्थिति में उनके निवास हेतु यह आवश्यक है कि उन्हे आवास हेतु घर में प्रवेश करवाया जावे तथा जीवन निर्वाह के लिए उन्हे प्रतिमाह खर्च राशि दी जावे।

यद्यपि प्रतिवादी का कथन है कि वादी ठेकेदार व चिनाई का कार्य करता है तथा छोटा पुत्र खेमचन्द सिलाई का कार्य करता है परन्तु इससे इस बात की उपधारणा कतई नही की जा सकती कि उन्हे उनके निवास से बाहर रखा जावे या उनके जीवन निर्वाह की व्यवस्था नही की जावे। चुकि प्रतिवादी, वादी का बडा पुत्र है जो वयस्क है इसलिए प्रतिवादी की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने वृद्ध पिता की सेवा करे तथा उसका भरण पोषण करे। जहां तक पेंशन का सम्बन्ध है यह बात स्वीकार योग्य है कि वादी को पेंशन मिलती होगी परन्तु इसका यह तात्पर्य नही है कि उसे उसके घर से बाहर कर दिया जावे और उसके घर व जमीन पर कब्जा कर लिया जावे तथा उसके साथ मारपीट की जावे। माता–पिता वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण व उनके जीवन एवं सम्पत्ति संरक्षण अधिनियम 2007 की मूलभावना के अनुसार प्रतिवादी कानूनन अपने कर्तव्यों से विमुख नही हो सकता है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर हम यह पाते है कि प्रार्थना पत्र वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (1) क, ख सहपठित धारा 21, 22, 23 के तहत माता–पिता वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण व उनके जीवन एवं सम्पत्ति संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत वादी अपने आवास (घर) में प्रवेश पाने का अधिकारी है। थानाधिकारी पुलिस थाना रैणी को आदेशित किया जाता है कि वादी को पुलिस सुरक्षा में अपने घर में प्रवेश करवाया जावे तथा उसे जानमाल की सुरक्षा प्रदान की जावे तथा आदेश की पालना तुरन्त प्रभाव से की जाकर पालना रिपोर्ट तीन दिवस में न्यायालय में पेंश करें। प्रतिवादी को पाबन्द किया जाता है कि वादी को प्रतिमाह 1000/– रूपये भरण पोषण राशि प्रत्येक माह की अन्तिम तारीख को अदा करे तथा वादी के साथ कोई झगडा व मारपीट नही करें। आदेश की प्रति थानाधिकारी को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
रैणी (अलवर)